


दिनांक

आज्ञा पत्र

22.12.25

~~अपील नोट प्रेस में खारिज करवाये जाने पर अपील नोट प्रेस में खारिज करवाये जाने पर~~
 पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट ने उपरिथत हाकर
 जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
 अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
 अपीलान्ट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
 अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
 फलस्वरूप अपील अपीलान्ट नोट प्रेस में खारिज की
 जाती है निर्णय सरे इजलास चुनाया गया। प्रकरण
 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब
 तकमील दाखिल दफतर हो।



Note Recd

गुलशन अलम

4th Floor

गुलशन अलम

22.12.25